भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2697**

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय: छोटे और सीमांत किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण**

**2697. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी के अभाव में छोटे और सीमांत किसानों को फसल उत्पादकता में सुधार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने छोटे भू-जोत धारकों की फसल उपज पर सीमित तकनीकी ज्ञान के प्रभाव के संबंध में कोई राष्ट्रव्यापी आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या मौजूदा कृषि विस्तार सेवाएं अद्यतन वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ छोटे किसानों तक पूरी तरह से पहुंच रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन कमियों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितना कवरेज हासिल किया गया है; और

(ङ) क्या कृषि-औद्योगिक पद्धतियों की जानकारी न होने के कारण छोटे किसानों की आय क्षमता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों को शिक्षित करने और फसल उत्पादकता, उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ लगातार राष्ट्रव्यापी अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाता है।

कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) के तहत, भारत सरकार वर्ष 2005-06 से देश में विकेंद्रीकृत और किसान-अनुकूल एक्सटेंशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 734 जिलों में एक केंद्र-प्रायोजित योजना "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" (कृषि प्रोद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी-एटीएमए) लागू कर रही है। यह योजना राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है और किसानों को खेती के आधुनिकीकरण के लिए खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों (जैसे फसल की उत्पादकता में सुधार और आधुनिक खेती के तरीकों से परिचित कराना) के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीकें और अच्छी कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराती है। इसके लिए विभिन्न एक्सटेंशन गतिविधियां जैसे- किसानों का प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोज़र विज़िट, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना और फार्म स्कूल आयोजित करना आदि अपनाई जाती हैं। इस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम 50% लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान श्रेणी से चुने जाने चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एटीएमए योजना के तहत विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से 50.92 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

कृषि विस्तार योजना के लिए मास मीडिया सहायता कृषि और किसान कल्याण योजनाओं, फसल सलाह, मौसम और बाजार की जानकारी और क्षेत्र-विशिष्ट आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी के प्रसार के माध्यम से कृषक समुदायों और अन्य स्टैकहोल्डर्स के बीच जागरूकता पैदा करती है। यह योजना दूरदर्शन, आकाशवाणी और डिजिटल तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाती है ताकि व्यापक पहुंच, समय पर सूचना तक पहुंच और किसान-केंद्रित जानकारी का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

किसानों को शिक्षित करने के लिए, मंत्रालय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों और अन्य स्टैकहोल्डर्स के बीच उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, उन्नत कृषि पद्धतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए विभिन्न योजनाओं, मिशन और नई पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनियों/मेलों का समर्थन और आयोजन करता है।

इसके अलावा, विभाग किसानों को कृषि सलाह, सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी और शिकायत निवारण पर सिंगल विन्डो प्लैटफॉर्म प्रदान करने के लिए किसान हेल्पलाइन केंद्र संचालित करता है।

भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली) एक बहुभाषी एआई-संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जिसे किसानों को विश्वसनीय, वास्तविक समय और स्थान-विशिष्ट कृषि सलाह तथा विभिन्न किसान सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म सरकारी योजनाओं, लाभ की स्थिति की ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, मौसम की अपडेट, मंडी की कीमतों, आईसीएआर परामर्शिका और अन्य कृषि सेवाओं के बारे में जानकारी को एकीकृत करता है ताकि सूचित निर्णय लेने और बेहतर फसल प्रबंधन को सक्षम किया जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फसल विविधीकरण, जैविक खेती और मूल्यवर्धन पर विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं/मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- आयल पाम (एनएमईओ-ओपी), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कपास उत्पादकता मिशन (कपास क्रांति), केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केन्द्र (सीआईपीएमसी), फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) शामिल है।

विभाग द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से उपर्युक्त योजनाओं और मिशन के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त, देश के 734 जिलों में 113 आईसीएआर संस्थानों, 731 कृषि विज्ञान केन्द्रों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है और तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

नीति आयोग द्वारा कृषि विस्तार उप मिशन के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि कृषि विस्तार सेवाओं ने किसानों की जागरूकता बढ़ाने, नई कृषि पद्धतियों को अपनाने और बेहतर कृषि निर्णयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अध्ययन से पता चला है कि 92.33% उत्तरदाताओं ने बताया कि प्रशिक्षण ने उन्हें नए कृषि हस्तक्षेपों और पद्धतियों को अपनाने में सक्षम बनाया है। 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से रेट किया। इसके अलावा, मूल्यांकन ने इंगित किया कि टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मास मीडिया हस्तक्षेप कृषि जानकारी के प्रसार में प्रभावी थे, 90.5% उत्तरदाताओं ने कहा कि इन सूचना स्रोतों ने उनके कृषि निर्णयों में सुधार किया है, विशेष रूप से फसल योजना, कीट और रोग प्रबंधन तथा मार्केट टाइमिंग के क्षेत्रों में।

(घ): कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और अधिक व्यावहारिक, सहभागी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों, आधुनिक उपकरणों और अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोणों का उपयोग कर रहे हैं। किसानों के व्यावहारिक कौशल को बढ़ाने के लिए सटीक कृषि, कृषि-ड्रोन, डिजिटल कृषि और अन्य जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों जैसे अग्रणी क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा, केवीके किसानों का विश्वास बढ़ाने, पीयर लर्निंग की सुविधा प्रदान करने और अभ्यास के लिए समुदायों को विकसित करने हेतु 'मॉडल प्रदर्शन फार्म' की अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं। नवाचार की ओर झुकाव वाले किसानों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान-से-किसान ज्ञान के प्रसार और स्थानीय क्षमता निर्माण को सशक्त करने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। केवीके उन किसानों के प्रशिक्षण का भी आयोजन करते हैं, जिन्हें ज्ञान को सुदृढ़ करने, उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने और निरंतर सुधार के लिए वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु री-स्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पहले प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, केवीके ने 22.22 लाख किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों पर उनके ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षित किया।

(ङ): एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) स्कीम फसलोपरान्त प्रबंधन अवसंरचना और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों के सृजन के लिए मध्यम से दीर्घावधिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता प्रदान करती है, जो प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की अधिकतम ऋण दर के अधीन है। इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी), राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समितियों (डीएलएमसी) द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित निगरानी तंत्र के माध्यम से की जाती है। योजना की प्रगति की निगरानी डिजिटल एआईएफ पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है।

दिनांक 15.07.2026 तक, एआईएफ के तहत कुल 2,08,828 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 93,374.36 करोड़ रुपये की राशि का ऋण शामिल है।

*****